uxj ipk;r lrk"kx<] ftyk Åuk fgekpy in'k d y[kkvk vof/k 4@07 l 03@10 rd dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu

Hkkx&,d

1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vof/k 4@07 l 03@10 rd uxj ipk;r lrk"kx< d i/kku rFkk lfpo fuEukulkj Fk %&

¼1½ i/kku

Øe l[;k	uke	vof/k
1	श्री अष्वनी कुमार	01.04.2007 से 13.06.2008
2	श्रीमति निर्मला देवी	27.08.2008 से 31.03.2010

¼2½ lfpo

1	श्रीमति वर्षा	01.04.2007 से 31.03.2010

¼[k½ uxj ipk;r lrk"kx<] ftyk Åuk] fgekpy in'k d vof/k 04@07 l 03@10 d vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu e ikb xb xEHkhj vfu;ferrkvk dk lkj%&

Øe l0	xEHkhj vfu;ferrkvk dk lEcfU/kr lkj	iSjk l[;k
1	अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान में से ₹50.04 लाख का उपयोग न करना।	5(2)
2	₹38,92,684/–की लम्बित राषि की वसूली न करना।	6(2)(1 से 7)
3	₹98000/–की राषि का अस्थाई दुर्विनियोजन।	8(1)(ii)(iii)
4	स्टील क्रय करने पर ₹38,610/–का फर्म को अधिक भुगतान करना।	8(2)
5	Solid Waste Management Project के कार्य हेतु ₹12,85,809/–का अनाधिकृत भुगतान।	8(3)
6	SWM Project निधि को ₹4.98 लाख हस्तान्तरित न करना।	8(4)
7	SWM Project पर ₹34,41,510/–का अनुपयोगी व्यय।	8(6)
8	वार्ड नम्बर 4, मुहल्ला भन्जाड़ा में राम लाल के घर की ओर गली के निर्माण कार्य हेतु CC 1:2:4 के गलत मापन व सीमेन्ट की कम वसूली के कारण संविदाकार को ₹40,614/–का अधिक भुगतान।	9(1)

9	संविदाकार को भण्डार से जारी की गई मदों की राषि ₹4,42,099 / —की वसूली न करना	9(4)(ii)
10	सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति / अनुमोदन के बिना ₹44,03,386 / —की अतिरिक्त मदों का निष्पादन।	9(4)(iii)
11	कार्य विचलन की राषि ₹27,48,707 / —की स्वीकृति के बिना अन्तिम बिल का भुगतान करना।	9(4)(iv)

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''घ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान / कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 4 / 2007 से 03 / 2010 तक का अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2011 से 06.04.2011 तक संतोष गढ़ में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 4 / 2007, 4 / 2008, 1 / 2010 व्यय के लिए माह 5 / 2007, 10 / 2008 तथा 1 / 2010 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में दिए गए अभिलेख के अलावा अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

“The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non information on the part of auditee”.

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत संतोषगढ़ के लेखाओं अवधि 4 / 2007 से 03 / 2010 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹10,200.00 आंका गया। सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़ को अंकेक्षण शुल्क की राषि को

रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के नाम प्रेषित करने के लिए अधियाचना संख्याः 81/2011, दिनांक 05.04.2011 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राषि पंजाब नैषनल बैंक संतोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्याः 390874, दिनांक 06.04.2011 के द्वारा भिजवा दी गई है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

नगर पंचायत संतोषगढ़ की अवधि 04/2007 से 03/2010 तक की वित्तीय स्थिति संलग्न परिषिष्ट (i) पर दर्षाई गई है जिसे चयनित मासों के आधार पर सत्यापित किया गया है।

¼1½ vUrj %& नगर पंचायत संतोषगढ़ की रोकड़ बही तथा बैंक खातों में दिनांक 31.03.2010 को ₹3,72,390.00 का अन्तर था जिसका विवरण संलग्न परिषिष्ट (ii) पर दिखाया गया है।

¼2½ रसीद संख्याः 50/10 से 50/17, दिनांक 23.10.2009 के द्वारा ₹5,445/– की आय प्राप्त की गई परन्तु इस राषि को रोकड़ बही में ₹5,245/– दर्षाया गया लेकिन बैंक में ₹5,445/–जमा करवाए गए। इस प्रकार रोकड़ बही में ₹200/–कम दर्ज किए गए तथा दिनांक 31.03.2010 तक ₹130/–का समायोजन कर दिया गया। ₹70/–समायोजन हेतु शेष थे जिन्हें रोकड़ बही में दर्ज किया जाए।

¼3½ fnukad 31-03-10 rd cpr [kkrk e iklr C;kt o cd e lh/k tek ₹2752@&dh jkf'k dk jkdM cgh e ntZ u djuk %&

जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2010 तक निम्न विवरणानुसार बचत खातों पर प्राप्त ब्याज राषि व बैंक में सीधे जमा राषि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था जिसे रोकड़ बही में शीघ्र दर्ज किया जाए।

cd dk uke	cpr [kkrk l[;k	fnukd	C;kt jkf'k
कांगड़ा सैन्ट्रल को–आप्रेटिव बैंक ऊना	297	(i) 8/09	429.00
		(ii) 2/2010	865.00
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया सन्तोषगढ़	–	1/08	458.00
के0सी0सी0 बैंक खाता सं0 97 में दिनांक 16.07.09 को जमा राषि जो 31.03.10 तक रोकड़ में दर्ज नहीं थी।	–		1000.00

5 ¼**1**½ ljdkjh vunku ¼**Grant-in-Aid**½ %&

अवधि 4/2007 से 03/2010 के दौरान आय का मुख्य स्त्रोत प्राप्त अनुदान राषि थी। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राषि का विवरण निम्न प्रकार से है।

Øe l[;k	fooj.k	ifjf'k"V
1	SFC Grant	(iii)
2	EIUS/NSDP	(iv)
3	Calamity relief	(v)
4	Maintenance of ULB Roads	(vi)
5	Misc. Grants from various Department	(vii)
6	DC Grants	(viii)
7	SJSRY	(ix)
8	IDSMT	(x)
9	SWMP	(xi)
10	Grant from District welfare Department	(xii)

¼**2**½ vd{k.k vof/k d nkjku ikIr vunku e l ₹50-04 yk[k dk mi;kx u djuk %&

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की राषियों में से दिनांक 31.03.2010 तक ₹50,03,613/—की राषि का उपयोग नहीं किया गया था। अनुदानों के परिषिष्टों में दर्षाए गए विवरणों से स्पष्ट है कि अधिकांष अनुदानों की शेष बची राषियां न तो सरकार को वापिस की गई थी और न ही इनके उपयोग/व्यय हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त की गई थी। अतः नगर पंचायत को सुझाव दिया जाता है कि अनुदानों से व्यय करते समय निर्धारित शर्तों का दृढ़ता से पालन किया जाए तथा शेष बची राषियों को या तो वापिस किया जाए या फिर इनके उपयोग करने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

6 vk; %&

¼1½ uxj ipk;r lrk"kx< }kjk ikIr vk; d L=kr fuEu g rFkk bu l ikIr vk; dk fooj.k lyXu ifjf'k"V ¼**xiii**½ ij fn;k x;k g %&

(i) House Tax/Sanitation Tax.
(ii) Rent of shops/stalls.
(iii) Teh. Bazari.

(iv) Electricity cess.
(v) Liquor cess.
(vi) Chullah Tax.
(vii) Interest of Banks.
(viii) NOC for water/Electricity connection.
(ix) Copying fees.
(x) Brick killns.
(xi) Building fees
(xii) Advance & deposit/Audit recovery.
(xiii) Rehri Licence fees.
(xiv) Misc.
(xv) Banglow/Rent house
(xvi) Grants.

¼2½ ₹38]92]684-00 dh yfEcr olfy;k ckj ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ की विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत परिषिष्ट (xiv) के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक ₹38,92,684.00 की वसूलीयाँ लम्बित थी जिनका विस्तृत विवरण निम्न पैराग्राफों में दिया गया है।

¼**2.1**½ xgdj d : i e fnukd 31-03-2010 dk ₹28]60]735-00 dh yfEcr olfy;k ½&

लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2010 को गृह कर के रूप में ₹28,60,735.00 की राषि विभिन्न करदाताओं से वसूल की जानी शेष थी। हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994, की धारा 87(i) के अन्तर्गत नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करनी वांछित है दोषी करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवष्यक है। लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस सम्बन्ध में काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने बाले करदाताओं के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राषियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है अतः शेष राषि की वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाए।

¼2-2½ uxj iapk;r dh nqdkuk@LVkyk dk fdjk, dk :i e fnukd 31-03-2010 rd ₹7]26]569@&dh olyh 'k"k ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों से देय किराए की राषि ₹7,26,569/–वसूली हेतु शेष थी। किराए की वसूली हेतु सचिव द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गया है। अतः हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दोषी दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। नगर पंचायत द्वारा प्रभावषाली पग न उठाए जाने के कारण दुकानों के किराए की लम्बित राषि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा लम्बित किराए की वसूली शीघ्र की जाए।

¼**2.3**½ uxj iapk;r }kjk pYgk VDl dh yfEcr ₹3]05]380-00 dh olyh u djuk ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा दिनांक 31.03.2010 तक चूल्हा टैक्स की राषि ₹3,05,380.00 की वसूली शेष थी। जिसकी वसूली शीघ्र की जाए।

¼3½ Lfonk Qke dh fcØh fu/kkfjr nj l de nj ij dju dk dkj.k ₹74]100-00 dh gkfu ½&

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6(2)(iii) द्वारा संविदा फार्म का मूल्य निम्न विवरणानुसार निर्धारित किया गया है :–

(1)	Work less than ₹50,000/-	₹100/-
(2)	Work less than ₹1,00,000/-	₹200/-
(3)	Work less than ₹5,00,000/-	₹500/-
(4)	Work above ₹5,00,000/-	₹1000/-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 79/2011, दिनांक 02.04.2011 के प्रत्युतर में सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा संविदा फार्म की बिक्री ₹150/– प्रति फार्म की दर से की गई। इस प्रकार शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष द्वारा निर्धारित दर के आधार पर संविदा फार्म बिक्री न करने के कारण नगर पंचायत संतोषगढ़ को ₹74,100/–की कम आय प्राप्त हुई है जिसकी वसूली दोषी से की जाए। अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 तक बिक्री किए गए संविदा फार्म का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Ø0 dk;Z dk uke vuqekfur Lfonk olyh vUrj fcØh de

l0		ykxr ¼₹½	Qkel dh o lyh xbl nj ¼₹½	;kX; nj ¼₹½	¼₹½	fd, x, Qkekl dh l0	o lyh ¼₹½
1	C/o Community Centre in W.No. I	1,00,000	150	500	350	3	1050
2	C/o community Centre in W.No. 2	1,00,000	150	500	350	4	1400
3	C/o community Centre in W.No. 4	1,25,000	150	500	350	4	1,400
4	R/o Street from Haroli road to Santoshgarh W.No. 4	2,13,000	150	500	350	5	1,750
5	R/o Street from Mehatpur road to H/o Bhopal Singh W.No.2	1,40,000	150	500	350	5	1,750
6	C/o Retaining wall near N.P. Office Santoshgarh	1,50,000	150	500	350	4	1,400
7	Drainage System Mohalla Jattan in W.No.8	2,00,000	150	500	350	4	1,400
8	R/o Street from H/o sudir Chabla towards H/o Blaunt	1,44,000	150	500	350	4	1,400
9	C/o Balmiki Community Centre in W.No. 4 Santoshgarh	99,250	150	200	50	4	200
10	C/o Sarai Bhawan in W.No. 5	99,500	150	200	50	4	200
11	C/o retaining wall near shopping complex Santoshgarh	2,20,000	150	500	350	4	1,400
12	M/o Drain in N.P. area	2,00,000	150	500	350	4	1,400
13	R/o Street Una road to H/o Yog Raj W.N. 1	1,00,000	150	500	350	3	1050
14	Addition & alteration of N.P. staff quarters	5,5000	150	200	50	3	150
15	A/R & maintenance of Office building sub	80,000	150	200	50	3	150

	head white wash						
16	C/o approach road to parking of IDSMT	1,50,000	150	500	350	3	1,050
17	Water, Supply & Sanitation fitting in Rehan Basera building.	1,38,163	150	500	350	2	700
18	P/o Street from H/o Chaman Lal to H/o Gurmail Singh W.No.3	1,97,795	150	500	350	3	1,050
19	Water supply & sanitation fitting in shopping complex under IDSMT	3,30,810	150	500	350	3	1,050
20	C/o Community Centre in Khawaja Jindapir	1,00,000	150	500	350	4	1400
21	C/o class room (Ist floor) G.S.S.S. Santoshgarh	4,71,000	150	500	350	3	1,050
22	Repair & Maintenance of street/Drain in N.P. area	2,00,000	150	500	350	4	1,400
23	Paving of roofing on approach passage of car parking	1,50,800	150	500	350	3	1,050
24	C/o shops near KCC bank main bazaar santoshgarh	2,00,000	150	500	350	4	1,400
25	A/A of N.P. shops near Ravi Dass Mandir	1,00,000	150	500	350	3	1050
26	Re-Payment of street W.No. 8	2,00,000	150	500	350	4	1,400
27	C/o Drain/street from sahjowal Road to Moh. Malian near sabzi mandi	4,79,160	150	500	350	4	1,400
28	P/o Street from H/o Jaggi to Moh. Tablatpur W.No. 2	2,48,440	150	500	350	3	1,050
29	P/o street H/o Chaman Lal to H/o Parvinder W.N. 3	1,75,354	150	500	350	3	1,050

30	C/o Retaining Wall near Sabzi Mandi W.N. 7	1,50,000	150	500	350	3	1,050
31	P/o Courtyard & Boundary Wall of N.P. Office	2,00,000	150	500	350	3	1,050
32	P/o Street from sehjowal Road to H/o Roshan Lal W.N. 3	1,75,354	150	500	350	3	1,050
33	C/o Drain From Moh. Bhanjra to Sawan River R/Side W.No. 4	1,86,204	150	500	350	3	1,050
34	C/o Drain From Noh. Blanjra to Sawan River R/Side W.No. 8	2,29,061	150	500	350	3	1,050
35	R/M of street/Drain N.P area	1,00,000	150	500	350	3	1050
36	R/M of street/drain in N.P. area	2,00,000	150	500	350	3	1,050
37	P/o street & filling W.No 8	80,000	150	200	50	3	150
38	C/o community Centre near Sidh Chano Mandir	1,00,000	150	500	350	4	1400
39	C/o street near H/o charan Singh W.N.2	1,00,000	150	500	350	4	1400
40	C/o street from H/o satpal to H/o sadhu W.No. 3	1,20,000	150	500	350	4	1,400
41	C/o community Centre in W.No. 5	1,50,000	150	500	350	4	1,400
42	C/o Street from H/o Tarsem Lal to H/o Babli W.No. 6	70,000	150	200	50	4	200
43	C/o Street near H/o Piare Lal W.No. 7	1,00,000	150	500	350	4	1400
44	C/o Community Centre in Moh. Malian W.No.8	1,50,000	150	500	350	4	1,400
45	C/o Community Centre	1,00,000	150	500	350	4	1400

	in Moh. Bunjara in W.No. 8						
46	Repair of street main bazaar to H/o Darshan Singh W.No. 7	1,50,000	150	500	350	4	1,400
47	P/o Street Sehjowal Road to H/o Roshan Lal Phase-2 W.No. 3	1,13,600	150	500	350	4	1,400
48	P/o Street H/o Parwinder to H/o Chaman Lal Phase-2	1,14,030	150	500	350	4	1,400
49	P/o Street from Mehatpur Road to H/o Bhola W.No. 2	82,160	150	200	50	4	200
50	(i) P/o Street sanoli Road to Gardwara Sabha Talli Phase-1	1,26,715	150	500	350	4	1,400
	(ii) P/o Stree sanoli Road to Gardwara Sahib Talli Phase-2	1,26,715	150	500	350	4	1,400
51	C/o Drain & Street Ghate Wala khuh to swan W.No. 8	4,00,000	150	500	350	4	1,400
52	M/R of Road Street Nangal Road to H/o Subhash W.N. 2	2,26,320	150	500	350	4	1,400
53	M/R of Road Steet from Nangal Road to H/o Darshan W.No. 2	1,77,577	150	500	350	4	1,400
54	M/R of road street from Nangal Road to GPS Jatpur	2,98,742	150	500	350	4	1,400
55	P/o street Sehjowal road to H/o Sham Lal W.No. 3	74,014	150	200	50	4	200
56	M/R of Road street Una road to H/o Telu Ram W.No.1	1,72,702	150	500	350	3	1,050
57	C/o Drain of Sehjowal Road to near Sabzi Mandi W.No. 7	1,83,286	150	500	350	3	1,050

58	M/R Street near Shani Mandir W.No. 1	1,97,393	150	500	350	4	1,400
59	M/R street Sanali Road to H/o Balwan Chabla W.No.3	2,68,868	150	500	350	4	1,400
60	P/o Street & Boundary Wall near IDSMT Project	2,00,000	150	500	350	3	1,050
61	P/o Street Moh. Bhanjra to H/o Ram Lal W.No. 4	1,48,030	150	500	350	4	1,400
62	Repavement of street Ghate Wala Khuh H/o Ravinder	76,000	150	200	50	4	200
63	M/R of street Sanoli Road to H/o Vinod Kumar W.No. 3	1,00,929	150	500	350	4	1,400
64	Repair & Damaged Nallah Sanoli Road to H/o Ram Kumar W.No.3	1,50,000	150	500	350	3	1,050
65	P/o Street near H/o Parkesh Moh. Chengran W.No. 3	1,00,000	150	500	350	4	1400
						;kx	₹74]100

¼4½ xgdj dh 'ks"k olwyh dk vkxkeh o"kZ esa u n'kkZus dk dkj.k jkf'k ₹17]408@&dh gkfu ¼&

¼1½ वार्ड संख्याः 1 के गृह संख्या 178 से वर्ष 2007–08 तक गृहकर की ₹3,164.00 की वसूली शेष थी। परन्तु वर्ष 2008–09 में आरम्भ शेष शून्य लिया गया। इस प्रकार गृहकर रजिस्टर में आरम्भिक शेष में राषि शून्य लेने के कारण गृहकर की ₹3,164.00 की वसूली छोड़ दी गई है जिसकी गृह स्वामी से माँग की जाए तथा गृहकर रजिस्टर में गृह स्वामी के खाते में इसकी प्रविष्टि की जाए।

¼**2.i**½ वार्ड संख्याः 2 के गृह संख्याः 67–68 से वर्ष 2007–08 तक गृह कर की ₹1,488.00 की वसूली शेष थी। परन्तु वर्ष 2008–09 में आरम्भ शेष शून्य लिया गया। इस प्रकार गृहकर रजिस्टर में आरम्भिक शेष में राषि शून्य लेने के कारण गृहकर की ₹1,488.00 की वसूली छोड़ दी

गई है जिसकी गृह स्वामी से माँग की जाए तथा गृहकर रजिस्टर में गृह स्वामी के खाते मे इसकी प्रविष्टि की जाए।

¼**2.ii**½ उपरोक्त गृह स्वामी से वर्ष 2008—09 तथा 2009—10 के लिए गृहकर की माँग भी नहीं की गई जिसके बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼**3.i**½ वार्ड संख्याः 2 गृह संख्या 72 से वर्ष 2007—08 तक हाऊस टैक्स की ₹2,489.00 की वसूली शेष थी। परन्तु वर्ष 2008—09 में आरम्भ शेष शून्य लिया गया। इस प्रकार गृहकर रजिस्टर में आरम्भिक शेष में राषि शून्य लेने के कारण गृहकर की ₹2,489.00 की वसूली छोड़ दी गई है जिसकी गृह स्वामी से माँग की जाए तथा गृहकर रजिस्टर में गृह स्वामी के खाते मे इसकी प्रविष्टि की जाए।

¼**3.ii**½ उपरोक्त गृह स्वामी से वर्ष 2008—09 तथा 2009—10 के लिए गृहकर की माँग भी नहीं की गई जिसके बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼**4.i**½ वार्ड संख्याः 8 गृह संख्या 114 से वर्ष 2007—08 तक गृह कर की ₹10,267.00 की वसूली शेष थी। परन्तु वर्ष 2008—09 में आरम्भ शेष शून्य लिया गया। इस कारण गृहकर की ₹10,267.00 की वसूली छोड़ दी गई है जिसकी गृह स्वामी से माँग की जाए तथा गृहकर रजिस्टर में गृह स्वामी के खाते मे इसकी प्रविष्टि की जाए।

¼**4.ii**½ उपरोक्त गृह स्वामी से वर्ष 2008—09 तथा 2009—10 के लिए गृहकर की माँग भी नहीं की गई जिसके बारे में वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼5½ ndku fdjk;k ¼&

¼1½ भारत संचार निगम लिमिटेड को किराए पर दी गई दुकान के देय किराये की जाँच करने पर पाया गया कि विभाग के खाते में वर्ष 2006—07 के अन्त तक ₹5,250/— किराया लम्बित था जिसे वर्ष 2007—08 के आरम्भ शेष में शून्य लिया गया। इस प्रकार सम्बन्धित विभाग से ₹5,250/— की वसूली छोड़ दी गई इस राषि की उक्त विभाग से माँग की जाए तथा विभाग के खाते में इसकी प्रविष्टि की जाए।

¼2½ श्री सतपाल सपुत्र श्री मुन्षी राम को दुकान संख्या 560 प्रतिमाह ₹469.00 की दर से किराए पर दी गई थी दुकानदार के पास यह दुकान माह 6/2009 तक रही है। परन्तु उनसे माह 5/09 तथा 6/09 का किराया ₹938/— तथा वर्ष 2008—09 का लम्बित किराया ₹469/—

अर्थात ₹1,407 (938 + 469) की वसूली दुकानदार से नहीं की गई जिसे उचित स्त्रोत से वसूला जाए।

¼3½ अंकेक्षण अवधि 4/07 से 3/10 तक निम्न विवरणानुसार दुकानें किराए पर दी गई। इन दुकानों को किराए पर देने के लिए सभा का प्रस्ताव।, दुकान आबंटन करते समय अपनाई गई प्रक्रिया से तथा किराया सम्बन्धित अभिलेख व अनुबन्ध की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए।

Ø0 l0	nqdku fdjk;k jftLVj i`0l0	nqdku l0	fnukad	nqdkunkj dk uke	fdjk;k
1	103	—	06.06.2007	श्री अनिल पुरी	570.00
2	111	546	—	श्री राम आसरा के पुत्र को उनकी मृत्यु उपरान्त आबंटित की गई	568.00
3	123	560	7/2009	श्री शाम लाल कौषल	800.00
4	135	—	6/2009	श्री अष्विनी प्रभाकर	700.00

¼**4.i**½ माह 7/2009 में जिन दुकानों को किराए पर दिए हुए 5 वर्ष से ऊपर का समय हो गया था तथा जिनका किराया ₹500/— तक था उनके किराए में 10% तथा जिनका किराया ₹500/— से ज्यादा था उनके किराए में 5% की दर से बढ़ौतरी की गई। बढ़े हुए किराये के लिए दुकानदारों से कोई भी अनुबन्ध नहीं किया गया। जबकि आयुक्त एवं सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेष के अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी—एफ(6)—1/85, दिनांक 21.12.2001 के नियम 5(क) में 5 वर्ष के उपरान्त किराए में 10% की बढ़ौतरी करने का प्रावधान है।

अतः जिन दुकानदारों के किराए में 5% की बढ़ौतरी की गई है उनसे उक्त अधिसूचना के अनुसार किराये में 10% की बढ़ौतरी की जाए तथा अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किराया अनुबन्ध किए जाएं।

¼6½ pYgk VSD l ¼&

नगर पंचायत संतोषगढ़ में ₹20/—की दर से चूल्हा टैक्स गृह स्वामीयों से वसूल किया जा रहा है। परन्तु मयुनिस्पिल एक्ट 1994 में इस प्रकार के कर का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस बारे सचिव नगर पंचायत संतोषगढ़ को भी ऑडिट ज्ञापन संख्याः 69/2011, दिनांक 29.03.11 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया कि क्या नगर पंचायत संतोषगढ़ ने चूल्हा टैक्स वसूलने के

लिए हिमाचल प्रदेष के सरकार से अनुमति ली है? सचिव ने इस बारे अपने पत्र संख्या 274, दिनांक 04.04.2011 द्वारा सूचित किया है कि चूल्हा टैक्स बहुत पहले से वूसल किया जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेष सरकार से इसे वसूलने बारे कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि चूल्हा टैक्स की वूसली करने के लिए सक्षम हिमाचल प्रदेष की अनुमति लेकर नियमतिकरण किया जाए।

¼7½ ekckbZy dEifu;ksa ls Vkoj uohuhdj.k 'kqYd dh jkf'k ₹32]500@&dh olwyh u djuk ¼&

¼1 ½ नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा अवधि 2006–07 से 2009–10 तक मैसर्ज रिलायन्स इन्फोटैक लिमिटड से टावर नवीनीकरण शुल्क ₹5000/–प्रति वर्ष की दर से ₹20,000/– प्राप्त नहीं किया है इस राषि की वसूली कम्पनी से शीघ्र की जाए।

¼2½ भारत संचार निगम लिमिटेड से जी–8 संख्याः 44/16, दिनांक 05.10.2009 द्वारा अवधि 8/2006 से 08/2011 तक का नवीनीकरण शुल्क ₹15,000/– प्राप्त किया गया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने यह भुगतान 40% कटौती करने के उपरान्त किया है जबकि उक्त विभाग से 5 वर्षों का नवीनीकरण शुल्क ₹5000/– प्रति वर्ष की दर से ₹25,000/– प्राप्त किया जाना था। देय शुल्क में 40% की कटौती तभी दी जा सकती है यदि कम्पनी 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए टावर नवीनीकरण शुल्क अग्रिम में जमा करवाती है जिसके बारे में सचिव (आई0टी) हिमाचल प्रदेष सरकार ने अपने पत्र संख्या आई0टी0डी0ई0वी–(आई0टी0)2005(विविध) दिनांक 22.08.2006 द्वारा निर्देष दिए हैं। परन्तु इस मामले में टावर नवीनीकरण शुल्क 5 वर्षों के लिए अग्रिम जमा न करवाकर मात्र दो वर्षों के लिए ही अग्रिम जमा करवाया गया था। शुल्क में 40% की कटौती का लाभ उक्त विभाग को नियमानुसार देय नहीं था। अतः विभाग से ₹10,000/– टावर नवीनीकरण शुल्क की राषि शीघ्र वसूल की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

¼3½ मैसर्ज भारती सैलुलर लिमिटेड (एयर टैल) का टावर दिनांक 11.11.2004 को नगर पंचायत संतोषगढ़ में लगाया गया। सचिव (आई0टी) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः आई0टी0डी0ई0वी0(आई0टी) 2005 (विविध) दिनांक 22.08.2006 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात टावर नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि अपेक्षित थी परन्तु भारती सैलुलर लिमिटेड (एयर टैल) का टावर लगाए हुए दिनांक 11.11.2009 को 5 वर्ष का समय हो गया था लेकिन कम्पनी से टावर शुल्क में 25% की वढ़ौतरी करने के उपरान्त देय शुल्क नहीं लिया गया। उक्त फर्म द्वारा माह 11/09 से 11/2011 तक का टावर नवीनीकरण शुल्क ₹10,000/– जी–8 संख्या 67/42,

दिनांक 28.08.2010 द्वारा जमा करवाया गया है। अतः कम्पनी से उक्त पत्रानुसार बड़ी हुई शुल्क की राषि ₹2500/-की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

7 LFkkiuk %&

¼1½ नगर पंचायत संतोषगढ़ मे अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण परिषिष्ट 'XV' पर संलग्न है।

¼2½ नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा वर्ष 1997 में श्री संतोष कुमार की बतौर दैनिक भोगी चालक के पद पर नियुक्ति की गई। परन्तु उन्हें नियुक्त करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

¼3.i½ osru fu/kkj.k djus ckj %&

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला-2 ने अपने पत्र संख्या यू0एल0बी0-एच(बी)(7)-11/87-V-16910-58, दिनांक 31.12.2009 के द्वारा हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर)(बी)(7)-1/2009, दिनांक 20.08.2009 द्वारा जारी किए गए वेतनमानों को नगर पंचायतों के कर्मचारियों को भी जारी करने के आदेष दिए गए। कर्मचारियों को नए वेतनमान जारी करने के लिए नगर पंचायत संतोषगढ़ ने भी अनुमोदन कर दिया। परन्तु जाँच में पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन(पी0आर)बी(7)-1/2009, दिनांक 20.08.2009 तथा समसंख्यक अधिसूचना संख्या दिनांक 13.12.2009 के अनुरूप न करके कम अथवा अधिक किया गया है। जिन कर्मचारियों का वेतन गलत निर्धारित किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Employee	Date	Pre-revised pay Scale and Basic Pay	Revised pay scale	Basic Pay fixed			Pay to be Fixed		
					Pay in pay Band	Grade pay	Pay	Pay in Pay Band	Grade pay	Basic pay
1	Smt. Versha Secretary	1-1-06	(6400-10640) 7000.00 B.P.	10300-34800+4200	13020	4200	17220	13020	4200	17220
		1-6-06	Annual Increment	-	13540	4200	17740	13540	4200	17740
		1-6-07	Do	-	14250	4400 (A.I.+ACPS)	18650	14080	4200	18280
		9-6-07	ACPS	10300-34800+4400	14250	4400	18650	14630	4400	19030
		1-6-08	Annual Increment	-	14810	4400	19210	15200	4400	19600
		1-6-09	Do	-	15390	4400	19790	15790	4400	20190
2	Sh. Jitender Kaushal, J.E.	1-1-06	(5800-9200) 6800 B.P.	10300-34800+3800	13020	3800	16820	12650	3800	16450
		1-6-06	Annual Increment	-	13530	3800	17330	13150	3800	16950
		1-6-07	Do	-	14050	3800	17850	13660	3800	17460

		1-6-08	Do	-	14250	4200 (A.I.+ACPS)	18450	14190	3800	17990
		16-6-8	ACPS	-	14250	4200	18450	14730	4200	18930
		1-6-09	Annual Increment	-	14810	4200	19010	15300	4200	19500
3	Sh. Anil Kumar, Clerk	1-1-06	(3120-5160) 4020 B.P.	5910-20200+1900	7480	1900	9380	7480	1900	9380
		1-7-06	Annual Increment	-	7930	1950 (A.I.+ACPS)	9980	7770	1900	9670
		16-7-6	ACPS	5910-20200+1950	7930	1950	9980	8060	1950	10010
		1-7-07	Annual Increment	-	8230	1950	10180	8360	1950	10310
		1-7-08	Annual Increment	-	8540	1950	10490	8670	1950	10620
		1-7-09	Do	-	8860	1950	10810	8990	1950	10940
4	Smt. Suman, CO	1-1-06	3120-5160 3900 B.P.	5910-20200+1900	7260	1900	9160	7260	1900	9160
		1-7-06	Annual Increment	-	7710	1950 (A.I.+ACPS)	9660	7540	1900	9440
		9-7-06	ACPS	5910-20200+1950	7710	1950	9660	7830	1950	9780

		1-7-07	Annual Increment	-	8000	1950	9950	8130	1950	10080
		1-7-08	Do	-	8300	1950	10250	8440	1950	10390
		1-7-09	Do	-	8610	1950	10560	8760	1950	10710
5	Sh. Yaspal Singh, Peon	1-1-06	2520-4140 3330 B.P.	4900-10680+1300	6200	1300	7500	6200	1300	7500
		1-7-06	Annual Increment	-	6610	1300 (A.I.+ACPS)	7910	6430	1300	7730
		9-7-06	ACPS	4900-10680+1400	6610	1300	7910	6670	1400	8070
		1-7-07	Annual Increment	-	6850	1300	8150	6920	1400	8320
		1-7-08	Do	-	7100	1300	8400	7170	1400	8570
		1-7-09	Do	-	7420	1300	8720	7430	1400	8830
6	Sh. Balbir, Sweeper	1-1-06	2520-4140 3200 B.P.	4900-10680+1300	5990	1300	7290	5990	1300	7290
		1-4-06	Annual Increment	-	6210	1300	7510	6210	1300	7510
		1-4-07	Do	-	6680	1400 (A.I.+ACPS)	8080	6440	1300	7740
		1-4-07	ACPS	4900-10680+1400	6680	1400	8080	6680	1400	8080

		1-4-08	Annual Increment	-	6930	1400	8380	6930	1400	8330
		1-4-09	Do	-	7180	1400	8580	7180	1400	8580
7	Sh. Singara Ram, Sweeper	1-1-06	2520-4140 3120 B.P.	4900-10680+1300	5810	1300	7110	5810	1300	7110
		1-6-06	Annual Increment	-	6020	1300	7320	6030	1300	7330
		1-6-07	Do	-	6240	1300	7540	6250	1300	7550
		1-6-08	Do	-	6610	1400 (A.I.+ACPS)	8010	6480	1300	7780
		1-6-08	ACPS	4900-10680+1400	6610	1400	8010	6720	1400	8120
		1-6-09	Annual Increment	-	6850	1400	8250	6970	1400	8370

¼2½ deZpkfj;ksa dh tUe izek.k&i= izLrqr u djus ckjs ½&

शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत संतोषगढ़ के निम्न कर्मचारियों को अंकेक्षण अवधि के दौरान नियमित किया गया। परन्तु अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों की जन्म तिथि जो कि सेवा पुस्तिका में अंकित की गई थी के समर्थन में नियमानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः जन्म प्रमाण–पत्र के बिना दर्ज की गई जन्म तिथि को वैध नहीं माना जा सकता है। इसलिए कर्मचारियों से अपेक्षित अभिलेख शीघ्र प्राप्त किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	deZpkjh dk uke	lsok iqfLrdk esa ntZ tUe frfFk
1	श्रीमति रजनी रानी सफाई कर्मचारी	29.06.1964
2	श्री जसविन्द्र सिंह वर्क सुपरवाईजर	28.01.1973

8 ¼1½ ₹98]000@&dh vuqnku jkf'k dk vLFkkbZ nqfofu;ksx ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा जिला कल्याण अधिकारी ऊना के पत्र संख्याः 42–हरिजन बस्ती दिनांक 10.06.2009 द्वारा हरिजन बस्ती में रास्ते के निर्माण कार्य के लिए ₹98,000/–की अनुदान राषि प्राप्त की गई। इस राषि को रसीद संख्याः 35/10, दिनांक 10.06.2009 द्वारा रोकड़ बही के पृष्ठ 163 पर दर्ज किया गया। प्रधान नगर पंचायत संतोषगढ़ के नाम से कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऊना शाखा में नया खाता संख्या 297 खोला गया। इस राषि को उक्त खाते में जमा करवा दिया गया। तदोपरान्त दिनांक 15.06.2009 को दि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ऊना शाखा के खाता संख्याः 297 से ₹49,000/– की राषि आहरित कर ली गई इस राषि की कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की संतोषगढ़ शाखा के खाता संख्याः 0097 में जमा करवा दिया गया। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ऊना शाखा के खाता संख्या 297 में दिनांक 17.06.10 तक प्राप्त ब्याज की राषि सहित ₹50734/–षेष थे। दिनांक 17.06.2010 को ₹50,734/–इस खाते से आहरित कर लिए गए तथा खाते को शून्य कर दिया गया उपरोक्त अनुदान से सम्बन्धित निम्न अनियमितताएं पाई गई :–

¼i½ okÅpj la[;k 160] ekg 10@2009] jkf'k ₹49]000@& ½&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा श्रीमति निर्मला देवी प्रधान नगर पंचायत संतोषगढ़ को उनके आवेदन पर चैक संख्याः 512235, दिनांक 01.10.2009 द्वारा ₹49,000/–का भुगतान किया गया। यह राषि हरिजन बस्ती के रास्ते के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त की गई थी। परन्तु इस राषि का

भुगतान प्रधान को मात्र उनके आवेदन पर करना उचित नहीं है। निर्माण कार्य से सम्बन्धित आंकलन, निविदाएं, मापन पुस्तिका इत्यादि कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था जो कि नियमानुसार आवष्यक है। अतः निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा प्रधान, श्रीमति निर्मला देवी को किए गए भुगतान ₹49,000/–की वसूली दण्ड ब्याज सहित करके राषि को नगर पंचायत संतोषगढ़ की निधि में जमा करवाया जाए।

¼ii½ नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ऊना में प्रधान के नाम से खाता खोल कर (खाता संख्याः 297) ₹98,000/– अनुदान की राषि को जमा किया गया। जबकि नियमानुसार खाता सचिव नगर पंचायत संतोषगढ़ के नाम से खोला जाना अपेक्षित था। निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0डी0–एच(सी)(17)–3/2001, दिनांक 20.04.2001 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा जारी किए जाने वाले चैक प्रधान तथा सचिव दोनों द्वारा हस्ताक्षारित किए जाने आवष्यक हैं। अतः प्रधान के नाम से खाता खोलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼iii½ प्रधान नगर पंचायत संतोषगढ़ के नाम से कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा में जो खाता संख्या 297 खोला गया था उसमें दिनांक 17.06.2010 को ब्याज सहित ₹50,734/– जमा थे। यह राषि श्रीमति निर्मला देवी प्रधान द्वारा इस खाते में से बिना किसी अभिलेख व चैक के अपने स्तर पर आहरित करके खाते में शून्य कर दिया गया। प्रधान द्वारा आहरित राषि ₹50,734/– को नगर पंचायत के खाता संख्या 0097 में दिनांक 23.03.11 को जमा करवाया गया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। प्रधान द्वारा ₹50,734/– की राषि लगभग 6 माह तक दुर्विनियोजन किया गया है। अतः प्रचलित दरों पर पैनल ब्याज की वसूली करके, इस विभाग को अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

vkbZ0Mh0,l0,e0Vh ikVZ tDV %&

¼2½ LVhy Ø; djus ij ₹38]610@&dk QeZ dks vf/kd Hkqxrku %&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा मैसर्ज साबू टोर प्राईवेट लिमिटेड काला अम्ब (हिमाचल प्रदेष) से नियंत्रक भण्डार हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या 4–इण्ड/एस0पी0–2 (एम–84)5/2006, दिनांक 27.02.2007 द्वारा अनुमोदित स्टील की दरें जो दिनांक 30.06.2007 तक वैध थी के अनुसार स्टील का क्रय किया गया। परन्तु मैसर्ज साबू टोर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निम्न वर्णित बिलों में अनुमोदित स्टील की दरों से अधिक दरो को प्रभारित करने के कारण फर्म को ₹38,610/– का अधिक भुगतान कर दिया गया इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

Ø0 l0	fcy l0	fnukad	LVhy dk vkdkj ¼,e0,e0½	Ekk=k ¼eh0Vu½	nj ftldk Hkqxrku fd;k x;k ¼₹½	nj ftldk Hkqxrku fd;k tkuk gS ¼₹½	vUrj ifr eh0Vu ¼₹½	vf/kd Hkqxrku ¼₹½
1	1599	24.03.07	20mm	10 टन	27417	26603	814	8140
2	329	05.06.07	(i) 10mm	5 टन	29684	28209	1475	7375
			(ii) 16mm	5 टन	29074	27650	1424	7120
3	339	28.06.07	(i) 8mm	5 टन	29917	28442	1475	7375
			(ii) 20mm	5 टन	28026	26603	1423	7115
								37125
						fcØh dj **4%**		1485
						dqy ;kx		₹38610

¼3½ **Solid Waste Management Project** dk dk;Z djus ds fy, ₹1285809@&dk vukf/kd`r 0;; %&

okÅpj la[;k 5] ekg 4@2007] jkf'k ₹39]000@& %&

¼**i**½ उपरोक्त वाऊचर द्वारा मैसर्ज आहूजा इन्ट्रप्राईज़िज मैहतपुर को उनके बिल संख्या 1155, दिनांक 15.04.2007 के द्वारा 15 नम्बर डस्टबिन के क्रय हेतु ₹39,000/—का भुगतान किया गया। Solid Waste Management Project की DPR की जाँच करने पर पाया गया कि DPR के परिषिष्ट–1 के अनुसार डस्टबिन तथा टिप्पर के क्रय के लिए ₹10/—लाख का प्रावधान रखा गया था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा टिप्पर तथा डस्टबिन का क्रय करने के लिए निम्न विवरणानुसार ₹12,85,809/—का व्यय किया है अधिक व्यय की गई राषि की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	Ok0 l0	ekg		en dk uke	Ekk=k	nj	jkf'k
1	1	1/2007		टिप्पर	1 नं0	7,11,934	7,11,934
2	4	3/2007	(i)	साईकिल रिक्षा बिन	2 नं0		5,00,000
			(ii)	मोबाईल बिन	30 नं0		
3	5	4/2007		डस्ट बिन	15 नं0		39,000

4	6	5/2007	साईकिल रिक्षा बिन	2 नं0	34,875
				;kx	₹12]85]809

¼ii½ क्रम संख्या 2,3,4 पर दर्षाई गई मदें जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी इन मदों की स्टॉक प्रविष्टियां करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Øe la[;k	en dk uke	ek=k
1	(i) साईकिल रिक्षा बिन	2 नम्बर
	(ii) मोबाईल बिन	30 नम्बर
2	डस्टबिन	15 नम्बर
3	साईकिल रिक्षा बिन	2 नम्बर

¼4½ ,l0MCY;w0,e0 iktsDV fuf/k dk ₹4-98 yk[k gLrkarfjr u djuk ½&

okÅpj la[;k% 11] ekg 10@2007] jkf'k ₹7]98]302@& ½&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹7,98,302/–का भुगतान श्री रमेष कुमार को निर्माण कार्य "Repair of Roads/Street damaged by IPH Department for laying of severage" के लिए किया गया। इस वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि सड़क/गली की खुदाई की मुरम्मत हेतु नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से ₹16,27,826/–की राषि प्राप्त की गई थी परन्तु संविदाकार को उक्त निर्माण के लिए ₹7,98,302 का भुगतान SWMP की निधि से किया गया। दिनांक 11.01.2008 को ₹3/–लाख की राषि SWMP को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन शेष ₹4,98,302 (7,98,302 – 3,00,000) की राषि को SWMP निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया। अतः ₹4,98,302/–को भी SWMP निधि को हस्तांतरित किया जाए। SWMP का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष बची 7,98,302/–की राषि को निदेषक, शहरी विकास विभाग की अनुमति लेकर उपयोग में लाया जाए।

¼5½ okÅpj la[;k% 12] ekg 11@2007] jkf'k ₹1]00]000@& ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा श्री गुरू रविदास धार्मिक सभा संतोषगढ़, तहसील व जिला ऊना के भवन निर्माण हेतु ₹1/–लाख की राषि प्राप्त की है। इस अनुदान को मुख्य रोकड़ बही में दर्ज कर दिया गया। परन्तु निर्माण कार्य का भुगतान ₹1/–लाख SWMP निधि से किया गया जिसे शीघ्र SWMP निधि को हस्तांतरित किया जाए।

¼6½ **Solid Waste Management Project ij ₹34]41]510@&dk vuqi;ksxh O;;** ½&

¼**i**½ सचिव नगर पंचायत संतोषगढ ने अपने पत्र संख्या 91, दिनांक 05.03.2009 के द्वारा निदेषक, शहरी विकास विभाग षिमला–2 को SWMP में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में निम्नानुसार सूचना प्रस्तुत की है :–

प्रोजैक्ट पूर्ण होने की तिथि	11.01.2008
निर्माण कार्य की कुल लागत	₹34,41,510 / –
बाढ़ से नुकसान पहुंचने की तिथि	13.08.2008

उपायुक्त ऊना के पत्र संख्याः 916–21, दिनांक 23.09.2006 द्वारा संतोषगढ़ में (खेवट संख्याः 109 मिन खतौनी संख्या 143 मिन खसरा संख्या 242 / 2 में) 0–10–20 हैक्टेयर क्षेत्रफल का भू–खण्ड एस0डब्ल्यू0एम0पी0 के निर्माण के लिए आबंटित किया गया। जिला षिकायत निवारण समिति की बैठक में वर्षा से संयन्त्र को हुए नुकसान के बारे में की गई चर्चा में पाया गया कि कूड़ा संयत्र उचित स्थान पर न लगाए जाने के कारण संयत्र को नुकसान हुआ है जिस कारण कूड़ा करकट संयन्त्र की उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना को छानबीन हेतु जाँच सौंपी गई। ''अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा कर्कट संयन्त्र का निर्माण स्वां नदी से मात्र 500 मी0 की दूरी पर करवाया गया जो स्थान निर्माण के लिए सुरक्षित नहीं था। उन्होने यह भी सुझाव दिया है कि निदेषक शहरी विकास विभाग से प्राप्त ₹8.00 लाख का अनुदान बाढ़ से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त किया गया है इस राषि को तभी व्यय किया जाए यदि भविष्य में प्रोजैक्ट की सुरक्षा का विष्वास हो।'' स्वां चैनेलाईजेषन प्रोजैक्ट अथवा बाढ़ नियंत्रण विभाग का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इस स्थान पर SWMP का निर्माण किया जाना उचित था। परन्तु नगर पंचायत ने उक्त विभागों से अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना आवष्यक नहीं समझा लगभग ₹34,41,510 / –का व्यय SWMP के निर्माण पर कर दिया। इस प्रोजैक्ट ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। अतः किया गया व्यय निरर्थक पाया गया।

¼**ii**½ ₹8-00 yk[k dh jkf'k ds vuqnku ckjs ½&

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–2 के पत्र संख्याः यू0डी0एच(एफ)19 / 86–5953, दिनांक 06.06.2009 के द्वारा कुडा करकट संयन्त्र को बाढ़ से हुए

नुकसान की मुरम्मत हेतु ₹8.00 लाख उपलब्ध करवाए गए लेकिन नगर पंचायत संतोषगढ़ के पास ₹8,98,302/– SWMP में उपलब्ध थे इस राषि को निम्न विवरणानुसार निदेषक, शहरी विकास की पूर्व स्वीकृति के बिना अन्य कार्यों पर व्यय किया गया।

Øk0 l0	ekg	dk;Z dk uke	0;; jkf'k
11	10/2007	Repair of roads/street damaged by IPH Dept. for laying of sewerage.	7,98,302/–
12	11/2007	श्री गुरू रविदास धार्मिक सभा संतोषगढ़ के भवन निर्माण।	1,00,000/–
			₹8]98]302@&

भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना सुनिष्चित किया जाए।

¼7½ <u>okÅpj la[;k 393] ekg 5@2007] jkf'k ₹5000@&</u> ½&

इस वाऊचर द्वारा ₹5000/–का भुगतान श्री जितेन्द्र कौषल, कनिष्ठ अभियन्ता को उनके द्वारा अपनी जेब से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया। परन्तु उनके द्वार व्यय की राषि के समर्थन में प्रस्तुत बिल/वाऊचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे जिन्हें आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए। अन्यथा राषि की वसूली करने के उपरान्त नगर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिष्चित करें।

¼8½ <u>xzkaV&bu&,M jftLVj rS;kj u djus ckjs</u> ½&

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा प्राप्त अनुदान राषि व इसमें से किए गए व्यय को ग्रान्ट–इन–एड रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके अभाव में निर्धारित समय अवधि में अनुदान के उपयोग की जाँच पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः अनुदान रजिस्टर तैयार करना सुनिष्चित किया जाए।

9 ¼1½ <u>okMZ uEcj 4 eqgYyk HkUtkMk esa jke yky ds ?kj dh vksj xyh ds fuekZ.k dk;Z esa **CC:1:2:4** ds xyr ekiu o lhesUV dh de olwyh ds dkj.k lafonkdkj dks jkf'k ₹40]614@&dk vf/kd Hkqxrku</u> ½&

वाऊचर संख्याः 397, माह 5/2007 द्वारा ₹87,479/–का भुगतान वार्ड नम्बर 4 के मुहल्ला भन्जाड़ा में राम लाल के घर की ओर निर्मित की गई गली के कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल के लिए किया गया। इस कार्य बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न आपत्तियों को पाया गया।

¼i½ कार्य बिल मद संख्याः 4(सी0सी0 1:2:4)की कुल कार्य मात्रा 45.80 घन मीटर का भुगतान ₹1,721.10 + 15% प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्याः 21, पृष्ठ 23 द्वारा किया गया। कार्य बिल की मद संख्याः 1 (Dressing the ground) का कार्य 349.89 वर्ग मीटर के लिए मापन पुस्तिका संख्याः 21 के पृष्ठ संख्याः 22 द्वारा निषपादित किया गया है। तदानुसार ही कार्य की मद सी0सी0 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य का मापन 0.075 मीटर की मोटाई के लिए तकनीकी अधार पर अपेक्षित था इस प्रकार संविदाकार को सी0सी0 1:2:4 की कुल कार्य मात्रा 26. 24 घन मीटर (349.89 Sqm X 0.075 M) का भुगतान देय था लेकिन पंचायत द्वारा इस मद के लिए 45.80 घन मीटर की कार्य मात्रा का भुगतान किया गया। अतः संविदाकार को ₹38,714.00 (45.80 घन मीटर – 26.24 घन मीटर X ₹1979.26 प्रति घन मीटर) का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राषि ₹38,714/–की वसूली सुनिष्चित करें।

¼ii½ lafonkdkj dks tkjh fd, x, lhesUV ₹1900@&dh de olwyh ¼&

कार्य अनुबन्ध के अनुसार संविदाकार से सीमेन्ट की वसूली ₹160/–प्रति बोरी की दर से की जानी थी परन्तु संविदाकार को पंचायत भण्डार से जारी 190 सीमेन्ट बैग की वसूली ₹150/–प्रति बैग की दर से की गई। इस प्रकार संविदाकार से ₹1,900/– (190 सीमेन्ट बैग X (₹160 – ₹150/-) के सीमेन्ट की लागत कम वसूल की गई। कम वसूल की गई राषि की वसूली करना सुनिष्चित करें।

¼2½ uxj iapk;r {ks= esa ukfy;ksa@xfy;ksa dh ejEer ds dk;Z esa lafonkdkj dks ₹13]256@&dk vf/kd Hkqxrku ¼&

कार्य का नाम	R/M of N.P. Street/Drain etc. in N.P. Area Santokhgarh.
अनुबन्ध संख्या	1253–55, दिनांक 01.05.2006
संविदाकार का नाम	श्री चानन राम
मापन पुस्तिका संख्याः	21 पृष्ठ 14 से 19
बिल	तृतीय एवं अन्तिम

निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका 21 के पृष्ठ 14 पर मद संख्याः 2, "Cement concrete 1:2:4 को Dismental करने की रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टि निम्नानुसार दर्ज की गई तथा मात्रा 5.91 घन मीटर Dismental की गई।

fooj.k	yEckbZ x pkSMkbZ x eksVkbZ@xgjkbZ	Ekk=k
देस राज वार्ड नम्बर–2	21 x 1.25 x .075	1.96
को–ऑप्रेटिव सोसाईटी वार्ड नम्बर–2	23 x 1.25 x .075	2.15
प्लाट ऑफ गोगी वार्ड नम्बर–1	30 x 0.80 x .075	1.80
		5.91 ?kueh0

इस प्रकार C.C. 1:2:4 की 5.91 घन मीटर रास्ते की मात्रा Dismatal की गई जिसके नीचे C.C. 1:6:12 जिसकी मोटाई 0.15 मीटर थी उसे Dismatal नहीं किया गया। परन्तु जाँच में पाया गया कि संविदाकार को लाभ पहुंचाने के लिए Dismatal की गई मात्रा के क्षेत्रफल के लिए C.C. 1:6:12 की रिकॉर्ड प्रविष्टि कर दी गई जो कि तकनीकी आधार पर उचित नहीं है। इस प्रकार, मद संख्या 3, (मापन पुस्तिका पृष्ठ 15) C.C. 1:6:12 की कार्य मात्रा 11.84 घन मीटर का निम्न विवरणानुसार मापन व भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता इस प्रकार संविदाकार को ₹982.10 + 14% प्रीमियम की दर से ₹13,256/–का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए।

fooj.k	yEckbZ x pkSMkbZ x eksVkbZ	Ekk=k
देस राज वार्ड नम्बर–2	21 x 1.25 x .15	3.93
को–ऑप्रेटिव सोसाईटी	23 x 1.25 x .15	4.31
प्लाट ऑफ गोगी	30 x 0.80 x .15	3.60
		11.84 ?kueh0

¼3½ lStkoky jksM ls eqgYyk eykb;k rd ukyh@xyh ds fuekZ.k dk;Z esa lafonkdkj dks ₹6843@& dk vf/kd Hkqxrku ½&

okÅpj la[;k 861] ekg 10@2008] jkf'k ₹3]93]871@&

कार्य का नाम	C/o Drain/street from Sanjowal road towards Mohalla Malian, via Sabzi Mandi.
अनुबन्ध संख्याः	264–266, दिनांक 28.06.2008
संविदाकार का नाम	श्री श्याम गोपाल शर्मा
मापन पुस्तिका संख्या	22, पृष्ठ 46 से 48
बिल	प्रथम एंव अन्तिम।

निर्माण कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्या 4 ''सी0सी0 1:2:4'' की चौड़ाई तथा मद संख्या 3 ''सी0सी0 1:6:12'' की चौडाई में भिन्नता पाई गई है। जो कि गलत है। क्योंकि रास्ते/गलियों के निर्माण कार्य में मद संख्या 4 ''सी0सी0 1:2:4 तथा ''सी0सी0 1:6:12 की चौड़ाई एक समान ही रहनी चाहिए। अतः गलत मापन/गणना के कारण संविदाकार को मद संख्याः 4 ''सी0सी0 1:2:4'' के लिए 2..79 घन मीटर का भुगतान ₹1751.90 + 40 % प्रीमियम की दर से ₹6843/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से था। अतः गलत मापन के कारण किए गए अधिक भुगतान की राषि की वसूली की जाए :–

Lkh0 lh0 1%6%12 rFkk fy;k x;k eki ¼1½	Lkh0 lh0 1%2%4 rFkk fy;k x;k eki ¼2½	Lkh0 lh0 1%2%4 rFkk eki tks fy;k tkuk okfNr Fkk ¼3½	vUrj ¼2&3½
Street	Street	Street	
1x4.50x$\frac{4+3.00}{2}$x.12 = 1.89	1x4.50x$\frac{4.30+3.30}{2}$x.10= 1.71	1x4.50x$\frac{4+3.00}{2}$x.10=1.57	0.14
1x32.50x$\frac{3+3.15}{2}$x.12=11.99	1x32.50x$\frac{3.30+3.45}{2}$x.10=10.96	1x32.50x$\frac{3+3.15}{2}$x.10=9.99	0.97
1x10.10x$\frac{3.15+3.00}{2}$x.12=3.72	1x10.10x$\frac{3.45+3.30}{2}$x.10= 3.40	1x10.10x$\frac{3.15+3.00}{2}$x.10=3.10	0.30
1x24.00x$\frac{3.00+2.70}{2}$x.12=8.20	1x24x$\frac{3.30+3.00}{2}$x.10 =7.56	1x24.00x$\frac{3+2.70}{2}$x.10=6.84	0.72
1x22.00x$\frac{2.70+3.45}{2}$x.12=7.72	1x22x$\frac{3+3.45}{2}$x.10 =7.09	1x22x$\frac{2.70+3.15}{2}$x.10=6.43	0.66
	Total 30.72 m^3	**27.93 m^3**	**2.79 m^3**

¼4½

कार्य का नाम	C/o Shoping complex, parking, cafeteria, Town Hall, etc. Near N.P. Office Santoshgarh under IDSMT project.
अनुबन्ध संख्याः	NP warbs IDSMT 1526-28, dated 06-11-06
संविदाकार का नाम	गुप्ता बिल्डर्ज ऊना
मापन पुस्तिका संख्या	आई0डी0एस0एम0टी0–2, पृष्ठ 33 से 39
बिल	VI एवं अन्तिम बिल

¼i½ lafonkdkj ls ₹4]750@&dh de olwyh ¼&

संविदाकार की खाताबही की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत संतोषगढ़ ने संविदाकार को 5410 बैंग सीमेन्ट के जारी किए थे जिनकी वसूली दर ₹190/–प्रति बैग थी। परन्तु संविदाकार से अन्तिम बिल तक 5385 बैग सीमेन्ट की वसूली गई इस प्रकार 25 बैग (5410–5385) सीमेन्ट की वसूली संविदाकार से ₹190/–प्रति बैग की दर से ₹4750/–कम की

गई। संविदाकार से 25 बैग सीमेन्ट न तो वापिस लिए गए और न ही किसी अन्य कार्य के लिए हस्तांतरित किए गए थे। अतः ₹4750/–की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए। संविदाकार को जारी किए गए 5410 सीमेन्ट बैग का विवरण इस प्रकार से है :–

fnukd	tkjh fd, x, lheUV cSx dh l[;k
25.12.2006	280
10.01.2007	200
12.01.2007	70
07.02.2007	100
10.02.2007	220
14.02.2007	180
13.03.2007	200
18.03.2007	100
24.04.2007	200
25.04.2007	300
29.05.2007	775
03.08.2007	200
06.08.2007	200
19.09.2007	400
29.09.2007	600
06.11.2007	200
18.12.2007	500
02.02.2008	100
06.02.2008	400
18.04.2008	185
;ksx	5410 cSx

¼ii½ <u>lafonkdkj dks Hk.Mkj ls tkjh dh xbZ enksa dh jkf'k ₹4]42]099@& dh olwyh u djus ckjs</u>&

मैसर्ज गुप्ता बिल्डर्ज ऊना ने अपने पत्र संख्याः जी0बी0/ऊना/बी0पी0एन0पी0एस/2006/09–135, दिनांक 16.06.2009 जो कि सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़ को सम्बोधित है में निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्राप्त बिलों की राषि तथा नगर पंचायत संतोषगढ़ से प्राप्त भण्डार मदों का विवरण दिया है, के अनुसार गुप्ता बिल्डर्ज ने नगर पंचायत संतोषगढ़ से ₹38,70,058/–मुल्य की भण्डार मदें प्राप्त की है :–

fnukd	enksa dh dqy jkf'k i= esa fn, x, fooj.k ds vuqlkj ¼₹½

23.03.2007	9,56,515/–
28.04.2007	3,83,118/–
18.07.2007	5,38,729/–
30.09.2007	6,91,352/–
11.10.2007	4,27,112/–
22.12.2007	4,42,100/–
3/2008	2,60,126/–
23.04.2008	1,07,356/–
29.09.2008	63,650/–
;ksx	₹38]70]058@&

परन्तु मापन पुस्तिका संख्याः IDSMT-II पृष्ठ 39 पर छठे एवं अन्तिम बिल तक संविदाकार को भण्डार से जारी मदों की राषि ₹34,27,959/–की वसूली निम्न विवरणानुसार की गई थी :–

5385 सीमेन्ट बैंग ₹190/–प्रति बैंग की दर से	= ₹10,23,150/-
स्टील 77,574.47 किलो ग्राम ₹31/–प्रति कि0ग्राम की दर	= ₹24,04,809/-
	₹34,27,959/-

इस प्रकार संविदाकार से ₹4,42,099 (38,70,058 –34,27,959) की वसूली कम की गई है। यहां पर कहना भी उचित होगा कि संविदाकार को 77,574.47 किलो ग्राम स्टील जारी की गई थी। परन्तु इस स्टील को संविदाकार की खाता बही में दर्ज नहीं किया गया था। अतः भविष्य में संविदाकार को भण्डार से जारी सभी मदों की मुल्य सहित प्रविष्टियों को संविदाकार के खाता बही में दर्ज करना सुनिष्चित किया जाए। संविदाकार से कम वसूली करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए शेष राषि की वसूली करना सुनिष्चित किया जाए।

¼**iii**½ l{ke vf/kdkjh dh iwoZ vuqefr@vuqeksnu ds fcuk ₹14]03]386-00 dh vfrfjDr enksa dk fu"iknu ½&

न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6(4)(iii) के अनुसार किसी भी कार्य में अतिरिक्त मदों के निष्पादन से पूर्व निदेषक, शहरी विकास की स्वीकृति अपेक्षित थी। परन्तु निर्माण कार्य के छठे एवं अन्तिम बिल तक ₹14,03,386/–के मूल्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाया गया नियमानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	en l0	fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
1	18	P/F wire Gauge shutters	67.82 m^2	1534	1,03,821.00

2	19	Excavation in foundation & Plinth	(i) 2434.34 m^3 (ii) 811.44 m^3	263.45 97.78	6,41,324.00 79,343.00
3	20	P/F 4x40mm Steps in floor	491.46 m	20.72	9,888.00
4	21	P/L C.C.1:4:8	98.95 m^3	1655	1,63,762.00
5	22	P/L C.C. 1:1½:3	39.40m^3	3743	1,47,474.00
6	23	Half Brick Masonry	207.09 m^2	273	56,336.00
7	26	P/L under layer for Plinth protection	475.13 m^2	68.94	32,755.00
8	38	Providing water proofing paints	1496.82 m^2	44.60	66,758.00
9	39	P/F Helical door spring	14 Nos	11	154.00
10	40	P/F Door Rubber Back	14 Nos	30	420.00
11	41	P/F Aluminum nuts & bolts (i) 50 mm (ii) 100 mm	 166 Nos 577 Nos	 41.16 33.90	 6,832.56 19,560.00
12	42	P/F anodized sliding door bolts 300 x 16 mm 250 x 16 mm	 5 Nos 17 Nos	 165.00 150.00	 825.00 2,550.00
13	43	P/F 300 mm long M.S. chains	92 Nos	18.50	1,702.00
14	44	P/F aluminum door stopper	24 Nos	50.00	1,200.00
15	45	P/F eye hook	89 Nos	15.00	1,335.00
16	46	P/F square edge care beading	859.88 RMT	38.65	33,234.00
17	47	P/F fixed glass 4 mm thick	52.54 m^2	456.71	23,995.00
18	48	P/F Hanger	(i) 108 Nos (ii) 464 Nos	30.91 14.61	3,338.00 6,779.00
				;kx	₹14]03]385-56

¼iv½ dk;Z fopyu dh jkf'k ₹27]48]707@&dh Lohd`fr dk fcuk vfUre fcy dk Hkqxrku djukA&

आबंटन पत्र के अनुसार निर्माण कार्य की कुल लागत ₹70,26,744/–थी। परन्तु छठे एवं अन्तिम बिल तक निर्माण कार्य की कुल लागत ₹97,75,451/–थी। इस प्रकार निर्माण लागत में ₹27,48,707/– Deviation हुई है जिसे शहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम

11.6(4)(iii) के अनुसार निदेषक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष से अनुमोदित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼v½ lafonkdkj dks Hk.Mkj ls tkjh LVhy dh ek=k o fcyksa esa Hkqxrku dh xbZ ek=k esa vk, vUrj ds dkj.k ₹1]42]108@&dk vf/kd Hkqxrku djuk ½&

संविदाकार को नगर पंचायत संतोषगढ़ ने निम्न विवरणानुसार ₹77,604.47 किलोग्राम स्टील जारी की थी :–

LVhy Mk;k ¼,e0,e0½	,e0,0,l jftLVj i`0 la0	LVhy dh ek=k ¼fd0xzk0½
8 एम0एम0	44	16040.00
25 एम0एम0	45	915.00
20 एम0एम0	43	28945.00
12 एम0एम0	42	4909.24
10 एम0एम0	41	10000.00
16 एम0एम0	40	16795.23
		77]604-47 fdyks xzke

कार्य अनुबन्ध के पृष्ठ 24 के अनुसार संविदाकार को नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा ₹31/–प्रति किलोग्राम की दर से स्टील जारी की जानी थी मापन पुस्तिका संख्या IDSMT-II के पृष्ठ 34 पर मद संख्या 4 “Providing mild steel/for steel in reinforcement for RCC work” की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को स्टील की कार्य मात्रा 81344.16 किलोग्राम का भुगतान दर ₹38.00 प्रति किलो ग्राम की दर से किया गया। जबकि नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को 77604.47 कि0ग्रा0 स्टील जारी की गई थी तथा 77,574.47 कि0ग्रा0 स्टील की वसूली ₹31/–प्रति कि0ग्रा0 की दर से संविदाकार से कर ली गई थी। अतः संविदाकार को वास्तव में जारी की गई स्टील की मात्रा तथा संविदाकार द्वारा निष्पादित की गई स्टील की मात्रा में 3739.69 कि0ग्रा0 (81,344.16 – 77,604.47) का अन्तर है। सहायक अभियन्ता द्वारा नियम 11.6(4)(vi) के अनुसार स्टील की मात्रा का 100% टैस्ट चैक होना अनिवार्य था लेकिन उपरोक्त मद में सहायक अभियन्ता का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया था इस प्रकार सक्षम अधिकारी के टैस्ट चैक के बिना निष्पादित मात्रा तथा जारी स्टील की मात्रा में आए अन्तर 3739.69 कि0ग्रा0 को वैध नहीं माना जा सकता है जिसे नियमानुसार अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए अन्यथा 3739.69 कि0ग्रा0 स्टील की ₹38.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से संविदाकार को किए गए अधिक भुगतान ₹1,42,108/–की वसूली की जाए।

¼vi½ lafonkdkj ls ₹930@&dh olwyh de djus ckjs ½&

संविदाकार को नगर पंचायत संतोषगढ़ ने 77,604.47 कि0ग्रा0 स्टील की मात्रा जारी की है। परन्तु उनसे वसूली 77,574.47 कि0ग्रा0 की ही की गई है। इस प्रकार संविदाकार से 30 कि0ग्रा0 स्टील की मात्रा की वसूली ₹31/—प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹930/—कम की गई है जिसे उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼**vii**½ fufeZr dh xbZ nqdkuks] dSQsVsfj;k rFkk VkÅu gkWy] ikfdZx bR;kfn dks fdjk, ij u nsus ckjs ¼&

IDSMT प्रोजैक्ट के अधीन नगर पंचायत संतोषगढ़ ने 17 दुकानो, कैफेटेरिया, टाऊन हॉल तथा पार्किंग स्थल को निर्मित करवाया है जिसका निर्माण कार्य माह 8/2008 को पूर्ण हो चुका है। परन्तु निर्मित की गई दुकानों, कैफेटेरिया, टाऊन हॉल तथा पार्किंग से अंकेक्षण अवधि तक कोई भी आय प्राप्त नहीं की गई जबकि इस कार्य की कुल निर्माण लागत ₹97,75,451.00 है। अतः निर्मित दुकानों, कैफेटेरिया तथा टाऊन हॉल को नियमानुसार किराए पर न देने के कारणों को स्पष्ट करने के साथ—साथ इन्हें किराए पर देने के लिए उचित कार्यवाही करें ताकि पंचायत की आय में वृद्धि हो सके।

¼5½ uxj iapk;r dk;kZy; ds utnhd iLrkfor dkj ikfdZx o dksVZ;kMZ ds fuekZ.k dk;Z esa iwoZ vuqefr ds fcuk vfrfjDr dk;Z enksa dh jkf'k ₹29]838@&dk Hkqxrku djuk ¼&

okÅpj la[;k% 'kwU;] ekg 1@2010] jkf'k ₹4]00]888-00

कार्य का नाम	Proposed car and court yard in shopping Complex Near N.P. Office.
संविदाकार का नाम	श्री शाम गोपाल
अनुबन्ध संख्याः	523—525, दिनांक 01.09.2009
बिल	प्रथम एवं अन्तिम बिल
मापन पुस्तिका संख्या	IDSMT-II, पृष्ठ 51 से 53

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6(4)(iii) के अनुसार अतिरिक्त मदों को निष्पादन केवल निदेषक, शहरी विकास विभाग की पूर्व स्वीकृति से किया जाना अपेक्षित था। परन्तु उक्त निर्माण कार्य में सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना ₹29,838 की अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाया गया है। जोकि उक्त नियम के विपरीत था। अतः सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0la0	en la0	fooj.k	ek=k	nj	jkf'k
1	3	ब्रिक वर्क यूजिंग कॉमन	11.95 m^3	1886.61	22,545.00

		ब्रंटकलें			
2	4	15 एम0एम0 थिक सीमेन्ट प्लास्टर	86.12m^2	5745.00	4,948.00
3	5	फिनिषिंग वाल विद वाटर प्रूफिंग सीमेन्ट पेंटिंग	86.12 m^2	27.23	2,345.00
				;kx	₹29]838-00

¼6½ कार्य का नाम — Repair of street damaged by IPH Department for sewerage system in Santokhgarh.

अनुबन्ध संख्याः (i) 130—132, दिनांक 05.04.2007

(ii) 133—135, दिनांक 05.04.2007

संविदाकार का नाम — श्री रमेष कुमार

मापन पुस्तिका संख्याः — 21, पृष्ठ 53 से 55

बिल — प्रथम एवं अन्तिम बिल

नगर पंचायत ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा गलियों/सड़कों में सीवरेज पाईप बिछाने हेतु करवाई गई खुदाई की मुरम्मत का प्राक्कलन पत्र संख्याः 1357, दिनांक 15.07.2006 द्वारा सहायक अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उप मण्डल संतोषगढ़, जिला ऊना को ₹21,52,000/— के भुगतान हेतु प्रेषित किया। पंचायत द्वारा उक्त प्राक्कलन के लिए ₹17,50,930/—की राषि चैक संख्याः 773262, दिनांक 30.03.2007, ₹2,55,585/—तथा चैक संख्या 770707, दिनांक 22.12.2006 ₹14,60,345/—द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की गई। निर्माण कार्य की जाँच करने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई :—

¼i½ lekpkj i= esa foKkiu fn, fcuk fufonk,sa esxokuk ¼&

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के न्यू अकाऊंटस मैनुअल के नियम 11.6(2) के अनुसार जिन कार्यों की लागत ₹5/—लाख से अधिक हो उनका विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक हिन्दी) में दिया जाना अत्यावष्यक है। जाँच में पाया गया कि सचिव नगर पंचायत ने कार्य को निम्न विवरणानुसार दो भागों में विभक्त करते हुए पत्र संख्याः 75—80, दिनांक 07.03.2007 द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई समाचार पत्र में कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया।

	dk;l dk uke	vuqekfur ykxr ¼₹½
¼i½	Repair of street damaged by IPH Dept. for sewerage system in Santoshgarh zone ‘A’	5,00,000.00
¼ii½	Repair of street damaged by IPH Dept. for sewerage system in Santoshgarh zone ‘B’	5,00,000.00

यदि अनुमानित लागत 10,00,000/–ली जाती तो नियमानुसार कार्य की निविदा आमन्त्रित करने के लिए नियम 11.6(2) के अनुसार दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अनिवार्य था। परन्तु इससे बचने के लिए ही एक कार्य को दो भागों में बांटकर निविदाएं मंगवाई गई तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया। निविदाएं दिनांक 05.04.2007 को खोली गई तथा एक ही संविदाकार श्री रमेष कुमार को अनुबन्ध संख्या 130–132, दिनांक 05.04.2007 तथा 133–135, दिनांक 05.04. 2007 द्वारा उक्त कार्य को आबंटित कर दिया गया जिसकी विभागीय जाँच की जाए।

¼ii½ lafonkdkj dks ₹36]704@&dk vf/kd @vfu;fer Hkqxrku ½&

क्रम संख्याः (1) पर दर्षाई गई मद “Carriage of earth upto a lead of 3 kms including Head load” की कार्य मात्रा 922.48 घन मीटर का भुगतान ₹31.83 + 25% प्रीमियम प्रति घन मीटर की दर से ₹36,704 के लिए किया गया जबकि नगर पंचायत संतोषगढ़ की गलियों की चौड़ाई 3 मीटर से भी अधिक है। चर्चा में बताया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवरेज की पाईपें डालने के लिए मिट्टी की खुइाई करने हेतु जे0सी0वी0 द्वारा कार्य करवाया गया था। अतः इन तथ्यों को यदि मद्देनजर रखा जाए तो अंकेक्षण का मत है कि यह भुगतान 1 कि0मी0 हैड लोड की दूरी के लिए मात्र संविदाकार को लाभ पहुंचाने के लिए ही किया गया है जिसकी विभागीय जाँच के साथ–साथ अधिक भुगतान की गई राषि ₹36,704/–की वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼7½ okÅpj la[;k 860] ekg 10@2008] jk'kh ₹50]000-00@& ½&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹50,000/–की राषि का भुगतान श्री हर पाल सिंह संविदाकार को बतौर सिक्यूरड अडवांस किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पया गया कि उक्त वाऊचर के साथ न तो सिक्यूरड अड़वांस जारी करने से पूर्व अपेक्षित अनुबन्ध पत्र संलग्न था न ही इस राषि की वसूली संविदाकार से अंकेक्षण की समाप्ति तक की गई थी। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए तथा संविदाकार से ₹50,000/–की वसूली सुनिष्चित की जाए भविष्य में सुरक्षित अग्रिम राषि को जारी करने से पहले अनुबन्ध की धाराओं का पालन सुनिष्चित किया जाए।

¼8½ lafonkdkj dks tkjh fd, x, lheasUV ewY; ₹4]250@&dh olwyh u djuk ½&

श्री विजय कुमार संविदाकार को दिनांक 26.05.2008 कनिष्ठ अभियन्ता के एम0ए0एस0 रजिस्टर पृष्ठ 47 के अनुसार सीमेन्ट के 25 बैग जारी किए गए। जारी किए गए सीमेन्ट बैग को संविदाकार की खाता बही के पृष्ठ 91 पर दर्ज किया गया दिखाया गया था। जबकि संविदाकार

को खाताबही पृष्ठ संख्याः 91 पर जारी किए गए सीमेन्ट के 25 बैग की प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई यह सीमेन्ट बैग निर्माण कार्य “C/o street from Mohalla Bhanjra ward No. 8” के लिए जारी किया गया था तथा सीमेन्ट ईषू दर ₹170/—प्रति बैग थी। उक्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु संविदाकार के खाते में न तो सीमेन्ट बैग दर्ज किए गए और न ही उनसे वसूली की गई। अतः 25 बैग सीमेंट की ₹170/—प्रति बैग की दर से ₹4,250/—की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित की जाए।

10 y?k vkifÙk foojf.kdk ¼& लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है समस्त लघु आपत्तियों को स्थल पर ही निपटा दिया गया है।

11 fu"d"k ¼& लेखाओं में नितान्त सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— V(25)फिन (एल0ए0)खण्ड—4, दिनांक, षिमला7171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

i:thd'r ¼& 1- सचिव, नगर पंचायत संतोषगढ़, जिला ऊना हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला—2.

3- वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला—171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला—171009.

uxj ipk;r lrk"kx< d iol vd{k.k ifronuk d vfu.khr ijk dh lph %&

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 10@70 l 03@80

1	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(vi)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(एल)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(एस)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(टी)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(यू)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(डब्ल्यू)	अनिर्णीत
16	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
17	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(जैड)	अनिर्णीत
19	पैरा 14	अनिर्णीत
20	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
21	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
22	पैरा 16(सी)	अनिर्णीत
23	पैरा 16(डी)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(ई)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
26	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत

¼[k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@80 ls 03@81

1	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत

¼x½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@84

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 16	अनिर्णीत
3	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(ए)	अनिर्णीत
5	पैरा 27	अनिर्णीत
6	पैरा 37(बी)(iii)	अनिर्णीत
7	पैरा 39	अनिर्णीत
8	पैरा 40(ए)	अनिर्णीत
9	पैरा 40(बी)	अनिर्णीत
10	पैरा 40(बी)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 40(बी)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 40(बी)(iii)	अनिर्णीत
13	पैरा 40(बी)(iv)	अनिर्णीत
14	पैरा 40(बी)(v)	अनिर्णीत
15	पैरा 40(बी)(vi)	अनिर्णीत
16	पैरा 41	अनिर्णीत

17	पैरा 41(ए) से (ओ)	अनिर्णीत

¼?k½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@84 ls 03@85

1	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
2	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
4	पैरा 15(12)	अनिर्णीत
5	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
6	पैरा 15(14)	अनिर्णीत
7	पैरा 15(15)	अनिर्णीत

¼³½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@85 ls 03@86

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 15(3)	अनिर्णीत

¼p½ Jh Vh0vkj0 y[kuiky ijh{kd dk fnukd 28-04-1987 dk vkd{k.k ,o fujh{k.k

1	पैरा 1(ए)	अनिर्णीत

¼N½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@87

1	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत

¼t½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@87 ls 03@91

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत

8	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(छ)(i)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 8	अनिर्णीत
18	पैरा 9(क) से (ङ)	अनिर्णीत
19	पैरा 11	अनिर्णीत
20	पैरा 12	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14(क) व (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 15(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 17(क)(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19(क)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
29	पैरा 20(क)(ख)	अनिर्णीत
30	पैरा 21	अनिर्णीत
31	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
32	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
33	पैरा 22(ग)	अनिर्णीत
34	पैरा 24	अनिर्णीत
35	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
36	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
37	पैरा 26	अनिर्णीत

38	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
39	पैरा 28	अनिर्णीत
40	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत

¼>½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 l 03@95

1	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
7	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12	पैरा 9(viii)	अनिर्णीत
13	पैरा 9(ix)	अनिर्णीत
14	पैरा 9(x)	अनिर्णीत
15	पैरा 9(xii)	अनिर्णीत
16	पैरा 9(xiii)	अनिर्णीत
17	पैरा 9(xiv)	अनिर्णीत
18	पैरा 9(xvii)	अनिर्णीत
19	पैरा 9(xviii)	अनिर्णीत
20	पैरा 9(xxiv)	अनिर्णीत
21	पैरा 9(xxvii)	अनिर्णीत
22	पैरा 9(xxviii)	अनिर्णीत
23	पैरा 9(xxx)	अनिर्णीत
24	पैरा 9(xxxii)	अनिर्णीत
25	पैरा 9(xxxv)	अनिर्णीत

26	पैरा 9(xxxviii)	अनिर्णीत	
27	पैरा 9(xxxx)	अनिर्णीत	
28	पैरा 9(xxxxv)	अनिर्णीत	
29	पैरा 9(xxxxvi)	अनिर्णीत	
30	पैरा 9(xxxxviii)	अनिर्णीत	
31	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
32	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत	
33	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत	
34	पैरा 13(ix)	अनिर्णीत	

¼¥½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@95 l 03@2004

1	पैरा 8	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
2	पैरा 9	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
3	पैरा 10	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
4	पैरा 11	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
5	पैरा 13	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
6	पैरा 14	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)

7	पैरा 15	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
8	पैरा 16	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
9	पैरा 17	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
10	पैरा 18	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
11	पैरा 19	अनिर्णीत	
12	पैरा 20	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच0(सी)(15)27/86–खण्ड–3– 953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
13	पैरा 21	अनिर्णीत	
14	पैरा 23	अनिर्णीत	
15	पैरा 25	अनिर्णीत	
16	पैरा 27	अनिर्णीत	
17	पैरा 28	अनिर्णीत	
18	पैरा 29	अनिर्णीत	
19	पैरा 30	अनिर्णीत	
20	पैरा 32	अनिर्णीत	
21	पैरा 33	अनिर्णीत	
22	पैरा 34	अनिर्णीत	
23	पैरा 36	अनिर्णीत	
24	पैरा 37	अनिर्णीत	
25	पैरा 39	अनिर्णीत	
26	पैरा 41	अनिर्णीत	

27	पैरा 42	अनिर्णीत	
28	पैरा 46	अनिर्णीत	
29	पैरा 47	अनिर्णीत	
30	पैरा 48	अनिर्णीत	
31	पैरा 49	अनिर्णीत	
32	पैरा 50	अनिर्णीत	
33	पैरा 51	अनिर्णीत	
34	पैरा 52	अनिर्णीत	

¼V½ <u>vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@2004 ls 03@2007</u>

1	पैरा 2	अनिर्णीत	
2	पैरा 3	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/2010 के पैरा 3 में दर्षाई गई है।)
3	पैरा 4	निर्णीत	(जी–8 रजिस्टर तैयार कर दिया गया है तथा नगर पंचायत के प्रस्ताव। संख्या 57, दिनांक 07.04.2011 के द्वारा श्री हरविन्द्र सिंह लिपिक को रसीदें जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है)
4	पैरा 4(बी)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(बी) में दर्षाई गई है।)
5	पैरा 4(बी)(1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(सी)(ii) में दर्षाई गई है।)
6	पैरा 4(बी)(2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(सी)(i) में दर्षाई गई है।)
7	पैरा 4(बी)(3)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4(सी)(iii) में दर्षाई गई है।)
8	पैरा 6(ए)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)

9	पैरा 6(बी)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
10	पैरा 6(सी)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
11	पैरा 6(डी)(1)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
12	पैरा 6(डी)(2)	अनिर्णीत	
13	पैरा 6(डी)(3)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
14	पैरा 6(डी)(4)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
15	पैरा 6(डी)(5)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
16	पैरा 7(ए)(i)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7(ए)(ii)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
18	पैरा 7(ए)(iii)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
19	पैरा 7(ए)(iv)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27/86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)

20	पैरा 7(ए)(v)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
21	पैरा 7(ए)(vi)	अनिर्णीत	
22	पैरा 7(ए)(vii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत	
24	पैरा 7(सी)(i)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
25	पैरा 7(सी)(ii)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
26	पैरा 7(सी)(iii)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
27	पैरा 7(सी)(iv)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
28	पैरा 7(सी)(v)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)
29	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत	
30	पैरा 7(ई)	निर्णीत	(सहायक निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(सी)(15) 27 / 86–खण्ड–3–953, दिनांक 17.02.2011 के द्वारा)

¼vu|i d|ekj ?kk:½